

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश, शिमला -171003

प्रेस विज्ञप्ति

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य वित्त पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन -
- हिमाचल प्रदेश सरकार

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य वित्त पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - हिमाचल प्रदेश सरकार - प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2024 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया है। प्रतिवेदन 11 नवंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश सरकार को अग्रेषित की गई तथा इसे _____ विधान सभा के पटल पर रखा गया।

प्रतिवेदन में पांच अध्यायों में वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार के वित्त और विनियोग खातों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां शामिल हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ राज्य सरकार के अनुपालन की स्थिति का अवलोकन प्रदान करता है।

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सार निम्नानुसार है:

वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (वर्तमान मूल्यों पर) 7.26 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2018-19 के ₹ 1,48,383 करोड़ से ₹ 1,95,405 करोड़ हो गया। वर्ष 2022-23 में राज्य का बजट परिव्यय 10.97 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 46,984 करोड़ से ₹ 67,733 करोड़ हो गया।

वर्ष 2022-23 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021-22 की तुलना में 10.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्ति में मात्र 2.09 प्रतिशत बढ़ी एवं वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत वर्ष 2021-22 के 21.17 प्रतिशत से घटकर 19.49 प्रतिशत रह गया। इस अवधि के दौरान कर राजस्व में 8.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं राज्य के स्व-कर राजस्व में 9.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय एवं ऋण व अग्रिम) वर्ष 2021-22 में ₹ 42,602 करोड़ से 18.69 प्रतिशत बढ़कर ₹ 50,565 करोड़ हो गया। इसमें से राजस्व व्यय में वर्ष 2021-22 से 22.74 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। वर्ष 2021-22 का राजस्व अधिशेष (₹ 1,115 करोड़) वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व घाटे (₹ 6,336 करोड़) में बदल गया जबकि राजकोषीय घाटा वर्ष 2021-22 के ₹ 5,245 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 12,380 करोड़ हो गया।

प्राप्ति-व्यय का असंतुलन

प्राप्तियों व व्यय के मध्य निरंतर असंतुलन बढ़ते राजकोषीय दबाव को परिलक्षित करता है। राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं यथा राज्य का स्व-कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, करों में राज्यांश का हस्तांतरण, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान एवं अंतरण तथा ऋण रहित पूंजीगत प्राप्ति। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व लेखा के साथ-साथ पूंजीगत व्यय (परिसंपत्ति सृजन, ऋण व अग्रिम, निवेश, इत्यादि) भी शामिल हैं।

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक राजस्व प्राप्ति में ₹ 30,950.32 करोड़ से ₹ 38,089.50 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.97 प्रतिशत रही। इस अवधि के दौरान पूंजीगत प्राप्ति भी ₹ 1,784.70 करोड़ से बढ़कर ₹ 12,331.41 करोड़ हो गई। वर्ष 2018-23 के दौरान राजस्व प्राप्ति में सहायता-अनुदान का अंश 43.93 प्रतिशत से 55.06 प्रतिशत के मध्य था, जो भारत सरकार की सहायता पर निर्भरता को इंगित करता है। वर्ष में राज्य सरकार को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु केंद्रांश के रूप में ₹ 4,736.66 करोड़ प्राप्त हुए।

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने एवं पिछले दायित्वों के भुगतान हेतु राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार इससे राज्य के बुनियादी ढांचे एवं सेवा नेटवर्क में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। वर्ष 2018-19 व वर्ष 2022-23 के मध्य राजस्व व्यय ₹ 29,442.11 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 19.84 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 44,425.26 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 22.73 प्रतिशत) हो गया। 10.60 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ते हुए इस अवधि के दौरान यह लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग (85 से 88 प्रतिशत) बना रहा।

क्षमता से अधिक व्यय का परिणाम

राजस्व प्राप्ति व राजस्व व्यय के मध्य का अंतर राजस्व घाटे में परिणत होता है। वर्ष 2018-22 (2020-21 के अतिरिक्त) के दौरान राजस्व अधिशेष के अनुभव के पश्चात पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में पर्याप्त वृद्धि के कारण वर्ष 2021-22 का राजस्व अधिशेष (₹ 1,114.76 करोड़) वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 6,335.76 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.24 प्रतिशत) के राजस्व घाटे में बदल गया।

राज्य सरकार ने केवल पूंजीगत लेखा में ₹ 6,029 करोड़ खर्च किए। यह वर्ष 2022-23 के कुल व्यय का 11.92 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत व्यय कुल उधारी का मात्र 26.95 प्रतिशत था। इस प्रकार उधार निधियों का उपयोग पूंजी सृजन/विकास गतिविधियों के बजाय मुख्य रूप से वर्तमान खपत को पूरा करने एवं उधारों के पुनर्भुगतान हेतु किया जा रहा था।

राज्य के कुल व्यय व ऋण-रहित कुल प्राप्ति के मध्य का अंतर राजकोषीय घाटे में परिणत होता है। वर्ष 2022-23 में राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2018-19 के ₹ 3,512 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.37 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 12,380 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 6.34 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का परिमाण सबसे बड़ा भाग बनाता है। प्रतिबद्ध व्यय का पहला प्रभार संसाधनों पर होता है, जिसमें ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी एवं पेंशन पर व्यय शामिल है। वर्ष 2018-19 व 2022-2023 के मध्य ब्याज भुगतान, वेतन व पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 64-70 प्रतिशत था।

प्रतिबद्ध व्यय के अतिरिक्त अनम्य व्यय वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय के 2.45 प्रतिशत से बढ़कर 4.55 प्रतिशत हो गया, जो एक बढ़ती प्रवृत्ति का परिचायक है। वर्ष 2022-23 में अनम्य व्यय 25.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2021-22 के ₹ 1,607 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,020 करोड़ हो गया।

वर्ष 2022-23 में प्रतिबद्ध व अनम्य व्यय दोनों मिलकर ₹ 31,983.03 करोड़ थे; जो राजस्व व्यय का 71.99 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध एवं अनम्य व्यय की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण सरकार के पास अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों एवं पूंजी सृजन हेतु कम लचीलापन (गुंजाइश) रह जाता है।

सब्सिडी द्वारा अप्रतिबद्ध व्यय का बड़ा भाग ले लेना

अप्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत सब्सिडी में बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई, जो वर्ष 2018-2019 के ₹ 1,282.60 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 1,973.32 करोड़ हो गई एवं वर्ष 2018-23 के दौरान अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय में इसका भाग नौ प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक रहा। इस अवधि के दौरान कुल सब्सिडी में विद्युत सब्सिडी का 35 प्रतिशत से 53 प्रतिशत तक उल्लेखनीय भाग रहा।

गारंटियों के कारण आकस्मिक देयताएं

वर्ष 2022-23 में सरकार ने ₹ 643.61 करोड़ के उधार पर गारंटी प्रदान की। वर्ष के दौरान सरकार ने गारंटी पर कोई राशि अधिरोपित नहीं की।

राजकोषीय धारणीयता

राजकोषीय धारणीयता की जांच घाटे, ऋण व देयताओं के स्तर, गारंटी, सब्सिडी आदि जैसे व्यापक-राजकोषीय मापदंडों के संदर्भ में की जाती है। जहां तक राजस्व व व्यय में असंतुलन का प्रश्न है, महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक प्रतिबद्ध एवं अनम्य व्यय है, जिसमें वेतन व मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज इत्यादि और अन्य अनम्य व्यय भी शामिल हैं जैसे केंद्र प्रायोजित

योजनाओं हेतु प्रतिबद्धता से उत्पन्न होने वाले व्यय, आरक्षित निधियों में अंतरण, स्थानीय निकायों में अंतरण, इत्यादि।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अपेक्षाएं तथा राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे व ऋण हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं एवं प्रदान की गई गारंटी गत वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का एक निश्चित प्रतिशत होनी चाहिए। वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा राजस्व अधिशेष के लक्ष्य के सापेक्ष 3.24 प्रतिशत रहा; राजकोषीय घाटा छः प्रतिशत या उससे कम के लक्ष्य के सापेक्ष 6.34 प्रतिशत रहा; ऋण 40.49 प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष 42.05 प्रतिशत रहा व दी गई गारंटी 40 प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष 4.77 प्रतिशत रही।

इसके अतिरिक्त सरकार की समग्र देयता (जिसमें लोक ऋण व लोक लेखा देयताएं शामिल हैं) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 42.05 प्रतिशत थी। राजकोषीय प्रवृत्तियों को देखें तो राज्य की वित्तीय स्थिति भारी दबाव में है।

ऋण धारणीयता विश्लेषण के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार का लोक ऋण वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के मध्य 11.46 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है। वर्ष 2022-23 में लोक ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वर्ष 2018-19 के 24.55 प्रतिशत से 30.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2020-21 (कोविड वर्ष) के दौरान डोमर अंतराल (जी-आर) ऋणात्मक था। हालांकि कोविड पश्चात के वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान यद्यपि डोमर अंतराल (जी-आर के रूप में व्यक्त) सकल राज्य घरेलू उत्पाद की उच्च वृद्धि के कारण ऋणात्मक था (इसे कोविड वर्ष के संदर्भ में कम आधार के संदर्भ में देखा जा सकता है) तथापि प्राथमिक घाटा स्थिर नहीं था एवं विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में यह तेजी से बढ़ा। इस प्रकार केवल वर्ष 2021-22 व 2022-23 में डोमर अंतराल को देखकर निश्चित रूप से साधारणतः मजबूत आर्थिक विकास प्रवृत्ति (जी-आर > 0 के रूप में व्यक्त) के रूप में नहीं लिया जा सकता। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-2023 की अवधि के दौरान लोक ऋण प्राप्तियों के बड़े भाग का उपयोग उधार चुकाने के लिए किया जा रहा था, जो 45.31 प्रतिशत व 74.11 प्रतिशत के मध्य था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल आर्थिक विकास (2021-2023 से जी-आर > 0 के रूप में व्यक्त) पर निर्भर रहना राज्य के ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

ऊपर चर्चा किए गए विश्लेषण एवं परिणामों के अनुसार देयताओं (ऋण चुकौती, गारंटी इत्यादि) की बढ़ती प्रवृत्ति के साथ-साथ प्राप्ति व व्यय के मध्य लगातार असंतुलन के कारण हिमाचल प्रदेश राज्य का वित्त दबाव में है, जो ऋण स्थिरीकरण एवं ऋण धारणीयता के लक्ष्य को प्राप्त करने में जोखिम पैदा करता है।

बजट प्रदर्शन

समग्र व्यय आउटटर्न

बजटीय प्रयोजन व कार्यान्वयन के संदर्भ में आधिक्य व बचत दोनों के अनुसार मूल रूप से स्वीकृत राशि को समग्र व्यय आउटटर्न किस अधिकतम सीमा तक दर्शाता है, इसका आंकलन करने के लिए बजट प्रदर्शन की जांच की गई। राजस्व प्रभाग में बजट अनुमान की तुलना में 8.51 प्रतिशत का आधिक्य रहा। इसका कारण 26 अनुदानों में मूल प्रावधान से वास्तविक में आधिक्य होना था। छः अनुदानों में अंतर +50 प्रतिशत से अधिक था। अन्य छः अनुदानों में वास्तविक अनुदान की तुलना में कमी थी, जहां अंतर -3.00 प्रतिशत से -24.58 प्रतिशत तक था। पूंजीगत प्रभाग में बजट अनुमान की तुलना में आउटटर्न का अंतर +46.45 प्रतिशत रहा। इसका कारण 17 अनुदानों में मूल प्रावधान से वास्तविक में आधिक्य होना था। अन्य छः अनुदानों में +100 प्रतिशत से अधिक का अंतर था। इसके अतिरिक्त इन छः अनुदानों में से चार अनुदानों में +400 प्रतिशत से अधिक का अंतर रहा।

व्यय संघटन आउटटर्न

बजट प्रदर्शन निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के मध्य पुनः आवंटन से व्यय संघटन में हुए अंतर की अधिकतम सीमा को भी देखता है। यह माप अंतिम बजट एवं वास्तविक व्यय के मध्य के अंतर की अधिकतम सीमा की सीमा को इंगित करता है। राजस्व प्रभाग में संशोधित अनुमान की तुलना में आउटटर्न का अंतर -3.96 प्रतिशत रहा। इसका कारण 25 अनुदानों में संशोधित अनुमानों से वास्तविक में -0.14 प्रतिशत से -24.58 प्रतिशत तक की कमी होना था। पूंजीगत प्रभाग में संशोधित अनुमान की तुलना में आउटटर्न का अंतर -12.48 प्रतिशत रहा। इसका कारण 18 अनुदानों में संशोधित अनुमानों से वास्तविक में कमी होना था एवं तीन अनुदानों में -50 प्रतिशत से अधिक का अंतर था।

वर्ष 2022-23 के दौरान पाया गया कि सात मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) में ₹ 246.39 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुंचा।

समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन परिलक्षित करता है कि यद्यपि वास्तविक व्यय व मूल बजट के मध्य तथा वास्तविक व्यय व अंतिम बजट के मध्य छः प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक

हक अंतर था तथापि विभिन्न अनुदानों में 400 प्रतिशत तक अंतर था। इसके अतिरिक्त कई मामलों में, ऐसे अनुपूरक अनुदान देखे गए जहां व्यय मूल अनुदान के स्तर तक भी नहीं था। ऐसे अंतरों के समधान हेतु एक विश्वसनीय बजटीय प्रथा की आवश्यकता है।

लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता

लेखा व वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता उन मदों, लेनदेन एवं घटनाओं को कवर करती है जो अनुपालन अंतर, विनियमन की कमियों और उन लेखांकन रिकॉर्ड या समायोजन रिकॉर्ड की प्राप्ति में विलम्ब से संबंधित मुद्दों से संबंधित हैं, जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। इसमें लेखाओ व वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दों जैसे निधियां सरकारी खातों के बाहर जमा करना, देयताओं का निर्वहन न करना/कम करना तथा लेनदेन व आंकड़ों में अंतर के गलत वर्गीकरण पर भी प्रकाश डाला गया है।

अनुदान/विनियोजन से अधिक राशि का विनियमन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 व 205 के अनुसार राज्य सरकार को अनुदानों/विनियोजनों से हुए आधिक्य को राज्य विधानमंडल द्वारा विनियमित कराना होता है। यह पाया गया कि वर्ष 2022-23 में 16 अनुदानों एवं दो विनियोजनों के अंतर्गत ₹ 662.14 करोड़ का व्यय आधिक्य पाया गया, जिसे विनियमित करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014-15 से 2021-22 की अवधि से संबंधित ₹ 10,600.63 करोड़ के अतिरिक्त संवितरण को अभी तक नियमित नहीं किया गया।

भारत सरकार लेखांकन मानक की अनुपालना

राज्य सरकार ने भारत सरकार लेखांकन मानकों में निहित अपेक्षाओं के सापेक्ष भारत सरकार लेखांकन मानक-2: सहायता-अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण का आंशिक रूप से अनुपालन नहीं किया।

व्यक्तिगत निक्षेप लेखा का संचालन

द्वारा व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं का संबंधित प्रशासकों के साथ मिलान करने की कोषागार अपेक्षाओं के सापेक्ष दो मामलों (68 में से) में कोई मिलान नहीं किया गया।

एकल नोडल एजेंसी को दी गई निधियां

भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने प्रत्येक केन्द्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन और निधि प्रवाह हेतु एकल नोडल एजेंसी की प्रणाली प्रस्तुत की। भारत सरकार व राज्य सरकार के अंश सरकारी खाते से इतर स्थित राज्य सरकार के बैंक खाते में स्थानांतरित किए गए। पीएफएमएस

पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान केन्द्रांश के रूप में ₹ 3,621.78 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने एकल नोडल एजेंसियों को ₹ 4,078.23 करोड़ (केंद्रांश ₹ 3,294.07 करोड़ व राज्यांश ₹ 784.16 करोड़) हस्तांतरित किए। 31 मार्च 2023 तक एकल नोडल एजेंसियों के बैंक खातों में ₹ 2,722.47 करोड़ अव्ययित रहे।

सशर्त अनुदान के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र

31 मार्च 2023 तक निर्धारित समयावधि के भीतर सशर्त अनुदानों के सापेक्ष उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होने के बावजूद ₹ 4,242.51 करोड़ के 4,106 बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र लंबित थे।

विस्तृत आकस्मिक बिल के प्रति सार आकस्मिक बिल

अक्टूबर 2022 में राज्य सरकार ने सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से अग्रिम आहरण एवं विस्तृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से समायोजन हेतु पृथक/चिह्नित करने एवं कोड बनाने (संहिताकरण) के लिए तंत्र लागू किया।

प्रचलित नियमों व कोडल प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन एवं वित्तीय रिपोर्टिंग में नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इसकी अनुपालना न करना एवं विचलन लेखांकन व वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सशर्त अनुदान हेतु उपयोगिता-प्रमाणपत्रों को समय पर प्रस्तुत न करना; तथा भारत सरकार लेखांकन मानक-2 का आंशिक रूप से अनुपालन न करना देखा गया।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कार्य-पद्धति

31 मार्च 2023 तक हिमाचल प्रदेश में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 30 उद्यम (दो निष्क्रिय एवं एक परिसमापनाधीन) थे। इनमें दो संविधिक निगम एवं चार सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां शामिल थीं। वित्तीय विवरणी प्रस्तुत करने से संबंधित निर्धारित समयसीमा का पालन 73 बकाया लेखाओं वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 27 उद्यमों ने नहीं किया गया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 13 कार्यशील उद्यमों के अर्जित ₹ 20.21 करोड़ के कुल लाभ में से 69.32 प्रतिशत का योगदान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के केवल तीन उद्यमों द्वारा दिया गया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के आठ कार्यशील उद्यमों में हुए ₹ 604.94 करोड़ के कुल घाटे में से ₹ 594.70 करोड़ (98.31 प्रतिशत) का घाटा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उद्यमों को हुआ।

राज्य सरकार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन पर उनकी बकाया वित्तीय विवरणियों को शीघ्र अंतिम रूप देने का दबाव बनाएं ताकि वे राज्य विधायिका की निगरानी में रहें। राज्य सरकार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों की हानि के कारणों का भी विश्लेषण करें, जिनके नेटवर्थ का क्षरण हो गया है एवं उनके परिचालन को कुशल व लाभप्रद बनाने के लिए कदम उठाएं।
